पत्र सं0– वि.प्रा. (IV) यो– 8 / 2020–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

/पटना, दिनांक

विषय– सात निश्चय कार्यक्रम के तहत स्थापित विभागान्तर्गत शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के लिए प्रथम चरण में आवश्यक उपस्करों के क्रय हेतु कुल रू. 4,69,30,800=00 (चार करोड़ उनहतर लाख तीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त राशि एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विभागीय आदेश संख्या–939, दिनांक 05.03.2020 के प्रसंग में विभागीय आदेश संख्या– 201, दिनांक 20.01.2020 के माध्यम से गठित समिति के अध्यक्ष प्राचार्य, एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर के पत्रांक–318, दिनांक 16.03.2020 द्वारा की गई मांग के आलोक में सात निश्चय कार्यक्रम के तहत स्थापित विभागान्तर्गत शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के लिए प्रथम चरण में आवश्यक उपस्करों के क्रय हेतु कुल रू. 4,69,30,800=00 (चार करोड़ उनहतर लाख तीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त राशि एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–105 –इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0106–अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय)" के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43–4202021050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर होगें।

4. इस राशि की निकासी कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि से, समिति के अध्यक्ष तथा संबंधित संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य के संयुक्त अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही, आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किया जायेगा।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह./ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) यो– 8 / 2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) यो– 8 / 2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) यो– 8 / 2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, एम॰आई॰टी॰ मुजफ्फरपुर/ शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) यो– 8 / 2020– 1071 /पटना, दिनांक– 18.3.2020

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ निदेशक/संयुक्त निदेशक (वि॰)/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/03/20
सरकार के उप सचिव